

(देखिए नियम 6)

फार्म 'क'

सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

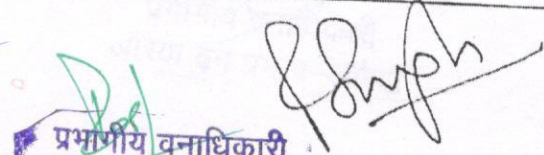
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1-परियोजना विवरण-

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-	राजस्व विभाग, औरैया द्वारा बाढ़ग्रस्त ग्राम-अस्ता मुस्तकिल को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने हेतु गाटा सं०-42 व 37/1, तहसील-औरैया, जिला-औरैया (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित भूमि के विनिमय द्वारा स्थानान्तरण से प्रभावित आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(ii)-1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।
(iii)-परियोजना की लागत:-	रु०-600 लाख अनुमानित
(iv)-वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु
(v)-लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नहीं।
(vi)-रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	नियमित रूप से 2 और 400 अस्थायी श्रमदिवस
2-कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :-	3.943 हे०

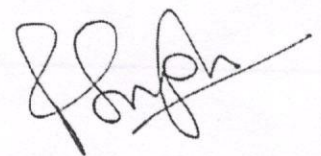

तहसीलदार
सदर औरैया।


प्रभाषीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

3-परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है:- (i) परिवारों की संख्या (ii) अनूसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	नहीं। नहीं। नहीं।
4- क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है, (हाँ/नहीं)	नहीं।
5-प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाए) :-	संलग्न है।
6-निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा:	संलग्न है।

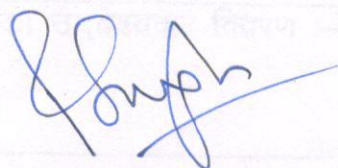
तिथि:- 04-10-24

स्थान:- औरैया

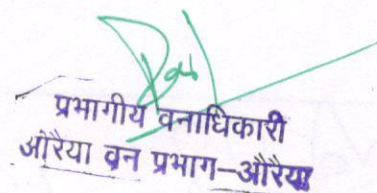


(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

राजस्व विभाग, औरैया



तहसीलदार
सदर औरैया।



प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया